SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, sub-titling lab.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, at the moment, the Government is not thinking on this issue.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Rajeev Shukla.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I would like to thank the hon. Minister for making it clear that the NFDC is not being moved to Delhi. The NFDC has become a merely trading body. For the last 5-6 years it has been sourcing the movies to the Doordarshan only. That has been the major job of the NFDC. I don't think that it has been created for that purpose. I think that it should be converted into a National Film Finance Development Corporation. Will she consider this proposal?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, it is true that the NFDC used to get films for Doordarshan. But that is stopped some time ago. That is why the NFDC has to be supported and strengthened. They have the infrastructure. They have a large number of employees. Some of them have taken VRS. With a more comprehensive body, as I mentioned earlier in my response, we are trying to source work so that the NFDC's talents can be used to the optimum capacity.

DR. K. MALAISAMY: Sir, the Minister has admitted that there is no proposal to shift the NFDC. But my question is different. Assuming, for the sake of argument, that there is a proposal to shift it from one place to another...

MR. CHAIRMAN: That is hypothetical.

DR. K. MALAISAMY: ... or fixing a place for the purpose of locating an office or organisation, I am inclined to ask; What could be your parameter or basis for it, whether it is discretion-driven or demand-driven or for any other consideration which can't be explained by you in public?

MR. CHAIRMAN: I suspect that is a hypothetical question.

तापमान में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण हुई मौतें

*322. **श्रीमती माया सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तापमान में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण प्रतिवर्ष कितनी मौतें होती हैं; और

(ख) सरकार द्वारा पर्यावरण में उत्पन्न हुए इस प्रकार के असंतुलन से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की 2007 में प्रकाशित चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, मनुष्य मौसम के बदलते पैटर्न (जैसे अधिक तीव्र और बार-बार होने वाली विकट घटनाएं) से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में आता है तथा जल, वायु, खाद्य की गुणवत्ता और मात्रा, पारितंत्रों, कृषि और अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से अप्रत्यक्षत: प्रभावित होता है। तथापि, मानव-जनित जलवायु परिवर्तन और मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध प्रमाणित नहीं हुआ है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी पूर्वानुमान दर्शाते हैं कि अधिक तीव्र, बार-बार और लम्बी अवधि तक चलने वाली गर्म हवाओं तथा ग्रीष्मकालीन शुष्कता का जोखिम तो बढ़ा ही है, इसके साथ-साथ सूखे का जोखिम भी बढ़ा है। अपेक्षाकृत अधिक गर्म वातावरण में ज्यादा जल धारण करने की क्षमता की वजह से अति वृष्टि और बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।

(ख) सरकार जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से अवगत है और उसने इस दिशा में कार्रवाई की है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की कार्य-नीति को रेखांकित करने हेतु 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में उन कार्रवाईयों का उल्लेख किया गया है, जो देश को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में समर्थ बनाएंगी और जो भारत के विकास के क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय सततता में वृद्धि करेंगी।

Lives lost due to global warming

†*322. SHRIMATI MAYA SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of deaths due to global warming, annually; and

(b) the measures taken by Government for overcoming the above environmental imbalance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its 4th Assessment Report published in 2007, human beings are exposed to climate change through changing weather patterns (for example, more intense and frequent extreme events) and indirectly through changes in water, air, food quality and quantity, ecosystems, agriculture and economy. However, no direct link has been established between human induced climate change and mortality.

Climate Change projections indicate increased risk of more intense, frequent and longer lasting heat waves, summer dryness and greater risk of drought. Greater water holding capacity of a warmer atmosphere could also result in intense precipitation and flooding which may cause adverse impacts on lives of human beings.

(b) Government is aware of the challenges posed by climate change and has taken steps in this regard. The National Action Plan on Climate Change (NAPCC) was released on 30th June 2008 to outline India's strategy to meet the challenge of Climate Change. The National Action Plan outlines steps that will enable the country to adapt to climate change and enhance the ecological sustainability of India's development path.

श्रीमती माया सिंह : सर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि मैंने जो सवाल पूछा था, उसका answer मंत्री जी ने बड़े घुमा-फिरा कर दिया है और कहा है कि जलवायु परिवर्तन और मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध प्रमाणित

†Original notice of the question was received in Hindi.

नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वातावरण में उड़ेली जा रही कार्बन और जहरीली गैसों ने धरती के ओजोन कवच को इतना कमजोर कर दिया है कि सूरज की घातक किरणों ने भी इसे भेद डाला है। इसके कारण फसलों की पैदावार में कमी हो रही है, गरमी का प्रकोप बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। मंत्री जी को भोपाल गैस त्रासदी के बारे में और मुम्बई में अभी जो ज्वार-भाटा उठा, उसके बारे में जानकारी हो गई और यह भी कहा जा रहा है कि मालदीव और लक्षद्वीप समुद्र के अंदर चले जाएंगे। हर व्यक्ति इससे चिंतित है, भयभीत है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसके बारे में वह क्या कर रहे हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन का क्या असर होगा, यह प्रश्न हिन्दुस्तान से संबंधित है। Global Warming का जो effect है, इस पर अपने जवाब को मैं हिन्दुस्तान तक सीमित रखना चाहता हूं। इसके बारे में सरकारी संस्थाओं द्वारा 2003 में पहला assessment किया गया था और उसका नतीजा यह निकला कि उसका कोई clear effect दिखाई नहीं दे रहा था। Assessment में यह था कि कई जगहों पर rainfall बढ़ेगा और कई जगहों पर rainfall कम होगा। उस assessment से और कई ऐसे नतीजे निकले थे। अभी हमने दूसरा assessment शुरू किया है, जिसमें 18 महीने लगेंगे। हमारी 127 वैज्ञानिक संस्थाएं इस assessment से जुड़ी हुई हैं। इसका क्या असर होगा, इस पर विस्तृत रूप से assessment हो रहा है। 2010 के अंत तक हम ये नतीजे publish करेंगे और तब हमें यह पता चलेगा कि हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रांतों में इसका क्या असर होगा? आज हम यही कह सकते हैं कि पिछले 100 सालों में minimum temperature बढ़ा है, लेकिन यह कहना कि Climate Change की वजह से मॉनसून में परिवर्तन आ रहा हे, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल - अभी conclusive scientific evidence पाया नहीं गया है।

श्रीमती माया सिंह : सर, मेरा second supplementary यह है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी और उसमें कार्रवाईयों का उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहती हूं कि वे कार्य योजनाएं क्या हैं जो जारी की गई थीं और उन पर अब तक सरकार के माध्यम से क्या कदम उठाये गए हैं? क्योंकि नई प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के कारण प्राणघातक संयंत्रों का यह जो प्रादुर्भाव हुआ है और कारखानों से जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, उनका असर भी तो मनुष्य के जीवन पर पड़ता है!

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने पहले सप्लीमेंट्री में ozone depletion की बात कही थी, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ozone depletion और green house gases, ये अलग-अलग हैं। Ozone depletion में हमने बहुत सफलता हासिल की है और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि Ozone Depletion Accord, जो मांट्रियल Accord है, उसके मामले में हिन्दुस्तान ने बहुत कदम उठाए हैं और ozone depleting chemicals का phase out में हम बिल्कुल schedule पर हैं। लेकिन, आपका प्रश्न greenhouse gases के संबंध में है, खास तौर से carbon dioxide पर है। उसके संबंध में पिछली 30 जून को, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय कार्य योजना का ऐलान हुआ था - National Action Plan on Climate Change और इस National Action Plan on Climate Change के तहत सरकार ने आठ मिशन्स की घोषणा की थी और 24 ऐसे initiatives हैं, जो अलग-अलग मंत्रालयों, अलग-अलग आर्थिक activities से संबंधित हैं। हमारे President Address में भी इसका जिक्र हुआ है और यह कहा गया है कि इस वर्ष के अंत तक इन आठ मिशन्स के implementation की शुरुआत हो जाएगी और इसका असर आपको अगले चार-पांच साल में देखने को मिलेगा।

प्रो. राम गोपाल यादव : सभापति महोदय, हमारे वायुमंडल में 99% तो Oxygen और Nitrogen है, केवल 1% Carbon dioxide, nitrous oxide वगैरह, जिनको greenhouse gases कहते हैं। इन greenhouse gases का उत्सर्जन पिछले 10 वर्षों में जितना हुआ है, उतना इससे पहले के 100 वर्षों में नहीं हुआ है। आप देखिए ग्राफ उल्टा चला गया है, पहले horizontal graph था, जो अब vertical हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे Scientists भी और सारी दुनिया के Scientists भी यह मान रहे हैं कि greenhouse gases का उत्सर्जन बहुत नुकसानदायक है, तो G8 में अभी जब प्रधान मंत्री जी गए थे, क्या इस संबंध में कोई आश्वासन अमेरिका ने दिया है कि वह Carbon dioxide के उत्सर्जन के लिए अपने industrialisation को कुछ reduce करेगा और जो developing countries हैं, उन पर इस बात के लिए दबाव नहीं डालेगा कि वे इस मामले में ज्यादा आगे आकर कोई कार्रवाई करें?

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि Carbon dioxide emissions न केवल हिन्दुस्तान के लिए परन्तु सारे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है और करीब 65% जो green house gases के emissions होते हैं, वे Carbon dioxide के होते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, ज्यादातर Carbon dioxide emission हमारे ऊर्जा, बिजलीघर, coal based power plants से आते हैं। इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम power generation के क्षेत्र में नई-नई technology का इस्तेमाल कर रहे हैं - Super Critical Technology है, coal gasification technology है। यह सब हम राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लागू कर रहे हैं और हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, प्रधान मंत्री जी की ओर से हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हमारी per capita emission जो होती है, वह विकसित देशों से कभी आगे नहीं होगी। यानी कि विकसित देशों की आज जो per capita emission है, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी सीमा के अंदर हम per capita emission में रहेंगे। आपने G8 Statement का जिक्र किया है। उसमें हमने कोई commitments नहीं लिया है। G8 Statement, जो L'aquila, Italy में किया गया था, उसमें कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रियों ने 2050 तक हमारा क्या aspirational उद्देश्य होना चाहिए, उसका जिक्र किया था। उस स्टेटमेंट में कहीं यह जिक्र नहीं है कि हम विकासशील देशों पर दबाव डालेंगे और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान किसी दबा में नहीं आएगा। अगर कोई दबाव है, अगर हम पर कोई pressure है कि हम emission reduction target लें, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हमारी सरकार की ओर से, प्रधान मंत्री जी की ओर से और हमारे मंत्रालय की ओर से भी, कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम कोई ऐसा कानून या समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, जो हमारे विकास पर बाधा लगाए। यह बिल्कुल साफ है। हमारे यहां पिछले दिनों जब अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हिलेरी क्लिंटन जी आई थीं, उनको भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे, जहां हमारे जैसे विकासशील देशों पर legally binding emission reduction cut होगा।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, मंत्री जी ने कहा कि food quality और quantity पर भी indirectly इस climate change का फर्क पड़ता है, directly नहीं पड़ता। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि साइंटिस्ट्स इसके ऊपर काम करने में लगे हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे साइंटिस्ट्स इस aspect को भी देखेंगे, agricultural seeds and their sowing पर भी क्या वे रिसर्च करके कुछ नए तरीके किसानों को बताने का प्रयत्न करेंगे?

श्री जयराम रमेश : जैसा कि मैंने कहा कि 2003 में पहला assessment किया गया था, वह पहला assessment मोटे तौर पर था, लेकिन अभी हम detailed assessment कर रहे हैं और दिसम्बर, 2010 तक इसके

खत्म होने की उम्मीद है। इस comprehensive assessment के तहत agriculture, health sector, irrigation sector पर इसका क्या असर होगा, यह हम मालूम करने में लगे हुए हैं और हमारी जो 127 वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उनसे हम यह काम करवा रहे हैं। यह एक comprehensive assessment होगा और पहली बार हम कुछ विश्वास के साथ कह पाएंगे कि हमारे देश में मानसून पर, हिमालय के ग्लेशियर्स पर climate change का क्या असर हो रहा है। चूंकि हमारे पास अभी कुछ ज्यादा scientific evidence नहीं है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। अभी एक अनुमान है, एक भय है, आशंकाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विज्ञान के आधार पर दिसम्बर, 2010 तक हम इस बारे में दावे से कुछ कह सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी, आपने अभी जो टिप्पणी की, उसमें और अमरीका की विदेश सचिव के साथ टेलीविजन पर आपकी जो टिप्पणी आई थी, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। आपने बार-बार कहा है कि हम अपने दायित्व को समझते हैं, लेकिन अपनी प्रगति पर हम कोई भी वैज्ञानिक बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप देश को और दुनिया को यह प्रामाणिकता से बता रहे हैं? आपके देश में भी आपने कहा कि आप स्वयं इसके लिए वैज्ञानिक शोध कराने वाले हैं। आज दुनिया में भारत के खिलाफ जो एक प्रकार का campaign चल रहा है कि भारत emission norms को follow नहीं कर रहा है, भारत के ग्लेशियर्स ढीले पड़ रहे हैं, मानसून में बदलाव हो रहा है, तो इसके कारण दुनिया में भारत के खिलाफ एक अजीब प्रकार का विपरीत भाव बन रहा है। जब आप यह कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन legal binding को follow नहीं करेंगे, इसके बीच का जो अंतर्निहित अंतर्विरोध है, इसको प्रामाणिकता से स्पष्ट करें।

श्री जयराम रमेश : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल भी अंतर्विरोध नहीं है। मैंने यह कहा कि हमारे National Action Plan के तहत हमने जो मिशन की घोषणा की है, उनमे 5 या 6 मिशन ऐसे हैं, जो adaption की बात करते हैं। 2 या 3 मिशन ऐसे हैं, जो mitigation की बात करते हैं, जब हम energy efficienty की बात करते हैं, energy efficient power plant की बात करते हैं, energy efficient buildings की बात करते हैं, तो वह mitigation होता है। हमारा stand यह है कि हम mitigate करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी योजना के तहत। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : अब आपने सही बोला।

श्री जयराम रमेश : हम अपनी योजना के तहत, अपनी पार्लियामेंट को confidence में लेकर ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : मंत्री जी, क्षमा करिए, लेकिन यह बात पहले से आनी चाहिए थी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : इन्होंने कह दिया है।

श्री जयराम रमेश : मैं पहले से यह कह रहा हूं कि मैं जब से इस मंत्रालय में आया हूं, मैं 29 मई से यह कह रहा हूं कि हम अपने बलबूते पर, हमारी योजना के तहत, हमारी पार्लियामेंट को confidence में लेकर यहीं mitigate करेंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार हम कोई legally binding mitigation स्वीकार नहीं करेंगे।

Assessment of energy demand

*323.SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state: